



केमाशिबो /शैक्ष./उस(मसिं)/2024

दिनांक : 13.03.2024  
परिपत्र संख्या: शैक्ष.-23/2024

केमाशिबो से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुख

विषय: केमाशिबो विद्यालयों द्वारा यूडीआईएसई+ डेटा भरने के संबंध में।

प्रिय प्राचार्य


आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में डेटा और रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य है। आरटीई अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, डेटा बनाए रखने और आरटीई प्रावधानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्यालयों को अद्वितीय यूडीआईएसई+ कोड प्रदान करने के लिए यूडीआईएसई+ (शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली) विकसित किया गया है। अतः, यूडीआईएसई+ में समय पर डेटा जमा न करना आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा।

यह पाया गया है कि राज्यों को यूडीआईएसई+ पोर्टल में केमाशिबो विद्यालयों का डेटा भरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राज्यों का केमाशिबो विद्यालयों के साथ नियमित संपर्क नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, सभी केमाशिबो संबद्ध विद्यालयों से अनुरोध है कि वे समय पर यूडीआईएसई+ पोर्टल पर डेटा भरें। यूडीआईएसई+ 2023-24 के लिए डेटा पूरा करने की अंतिम तिथि 15.03.2024 है और डेटा पुष्टिकरण, सत्यापन और प्रमाणीकरण सहित अंतिम प्रस्तुति की तिथि 31.03.2024 है।

आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

शुभकामनाओं सहित,

  
डा. जोसफ इमानुवेल  
निदेशक (शैक्षणिक)

निम्नानुसार संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सचिव, सैनिक स्कूल सोसायटी, कमरा नंबर 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001
5. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005
6. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
7. सार्वजनिक निर्देश निदेशक (स्कूल), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017



8. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
9. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791 111
10. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
11. स्कूल शिक्षा निदेशक, लद्दाख, कमरा नंबर 101-102, ग्राउंड फ्लोर, परिषद सचिवालय, कुर्बाथांग, कारगिल - लद्दाख
12. स्कूल शिक्षा निदेशक, आंध्र प्रदेश, तीसरी मंजिल, बी ब्लॉक, अंजनेय टावर्स, वीटीपीएस रोड, भीमराजू गुट्टा, इब्राहिमपटनम, आंध्र प्रदेश - 521 456
13. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ईएसएसईएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर -3, रोहिणी, दिल्ली
14. सेना शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
15. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट-110010
16. अध्यक्ष, केमाशिबो के अध्यक्ष, केमाशिबो के उपसचिव
17. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/सभी निदेशक, केमाशिबो
18. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को यह परिपत्र भेजें।
19. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सहायक सचिव, केमाशिबो
20. सभी प्रमुख/प्रभारी, उत्कृष्टता केंद्र, केमाशिबो
21. प्रभारी आईटी इकाई को इस परिपत्र को केमाशिबो शैक्षणिक वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ
22. प्रभारी, पुस्तकालय
23. रिकॉर्ड फ़ाइल

निदेशक (शैक्षणिक)

